राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/19 जयपुर, दिनांकः 19-04-2021

परिपत्र

विषयः– समस्त भर्ती/परीक्षाओं/चयन में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क निर्धारण के संबंध में।

राज्य सरकार के प्रचलित सेवा नियमों में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न भर्ती/परीक्षाओं/चयन में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क निर्धारण किया जाता है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7(1)कार्मिक/क–2/2019, दिनांक 19.02.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन हेतु आवेदन करने के लिए नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदन शुल्क लिया जायेगा।

19/4/21
(हेमंत कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमशः ......(2)

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

17/2021

Scanned by CamScanner